"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012—कार्तिक 18, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक 3310/1932/2012/1-2.—इस विभाग के आदेश क्र. 2588/1604/2004/1/2, दिनांक 28-10-2004 एवं आदेश क्र. 2925/1604/2004/1/2, दिनांक 09-12-2004 द्वारा डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से. को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-15 के तहत दिनांक 09-10-04 से 31-12-2004 तक (84 दिवस) स्वीकृत किए गए असाधारण (अवैतनिक) अवकाश को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 की कंडिका-19 के प्रावधान के अनुसार अर्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ 12-09/15-02/2012 रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना वर्ष 2012

प्रस्तावना :— राज्य शासन ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा वर्ष 1991 से 1997 के मध्य लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण जो दिनांक 15-08-2012 पर भी बकाया है इन्हें माफ करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार ऋण माफी की योजना निर्धारित की जाती है :—

(1) **योजना का स्वरूप :—** यह योजना छ.ग. राज्य में संचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा दिशा निर्देशों में यथा निर्दिष्ट रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों को दिनांक 01-04-1991 से दिनांक 31-03-1997 के दौरान प्रदान किये गये ऐसे अल्पकालीन ऋण जो दिनांक 15-08-2012 तक बकाया हो, पर लागू होगी.

(2) यह योजना जारी होने के दिनांक से लागू होगी.

(3) **परिभाषाएं :—**

i. **अल्पावधि कृषि ऋण :—** अल्पावधि कृषि ऋण से तात्पर्य सीधे किसानों अथवा किसानों के समूह (स्व सहायता समूह) को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है. इसमें (प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप) प्रदाय किये गये अल्पावधि ऋण जिन्हें मध्यकालीन परिवर्तन ऋण अथवा पुनर्परिवर्तन की सुविधा दी गयी हो ऐसे ऋण भी शामिल होंगे.

ii. **सहकारी ऋण संस्था :—** सहकारी ऋण संस्था का तात्पर्य है ऐसी सहकारी समिति जो—

(a) किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराती है और केन्द्र एवं राज्य शासन से मिलने वाले ब्याज अनुदान (सबवेन्शन) की पात्र है.

(b) राज्य में अल्पावधि सहकारी साख संरचना अथवा दीर्घावधि सहकारी साख संरचना का भाग है.

iii. **सीमांत कृषक :—** सीमांत कृषक से तात्पर्य है, एक हेक्टेयर (2.50 एकड़) अथवा उससे कम भूमि धारित करने वाला कृषक.

iv. **लघु कृषक :—** लघु कृषक से तात्पर्य है एक हेक्टेयर से अधिक परंतु दो हेक्टेयर (5.00 एकड़) तक की भूमि धारित करने वाला कृषक.

(4) **स्पष्टीकरण :—**

i. एक से अधिक किसानों द्वारा अपनी भू-जोत को मिलाकर ऋण लेने के मामले में किसानों का वर्गीकरण (लघु, सीमांत एवं अन्य कृषक) का आधार उस समूह की सबसे बड़ी भू-जोत के आकार को बनाया जाएगा.

ii. किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लिये गए अल्पकालीन कृषि ऋण भी इस योजना के दिशा निर्देशों में इसमें शामिल किये जाने के पात्र होंगे.

(5) **पात्रता राशि :—** ऋण माफी के लिये पात्र राशि निम्नानुसार होगी.

अल्पावधि फसल ऋण की समस्त बकाया मूलधन राशि जो—

i. दिनांक 01-04-1991 से दिनांक 31-03-1997 के मध्य संवितरित की गई हो और दिनांक 15-08-2012 पर बकाया हो.

ii. अथवा दिनांक 01-04-1991 से दिनांक 31-03-1997 के मध्य अल्पावधि फसल ऋण के रूप में संवितरित की गई है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोज्य मार्ग निर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर पुर्न संरचित (परिवर्तित) अथवा पुन: अनुसूचीकरण (पुर्न परिवर्तित) की गयी हो, और दिनांक 15-08-2012 पर बकाया हो.

iii. उपरोक्तानुसार संवितरित मूलधन राशि पर 50% ब्याज की राशि ही, ऋण माफी की पात्र होंगी. अर्थात् वितरित मूलधन पर प्रभारित की गई ब्याज की राशि मूलधन के 50% की सीमा तक ऋण प्रदायक संस्था को देय होगी.

iv. परंतु सीमांत एवं लघु कृषकों के खाते में बकाया समस्त राशि को बैंक/संस्था द्वारा माफ किया जाएगा. एवं इस आशय का ऋण माफी प्रमाण पत्र संबंधित कृषक के नाम जारी किया जाएगा. ऐसे समस्त ब्याज की हानि ऋण प्रदायक बैंक/संस्था द्वारा वहन की जावेगी.

v. निम्नलिखित ऋण पात्र राशि में शामिल नहीं किये जाएंगे. सहकारी ऋण संस्थाओं [कंडिका 3(ii) में उल्लेखित है] और समान प्रकार की अन्य संस्था से भिन्न किसी कंपनी साझेदारी फर्म, समितियों को प्रदत्त ऋण. इस योजना में निहित कोई बात किसी संस्था द्वारा दिनांक 01-04-1991 से पूर्व एवं दिनांक 31-03-1997 के पश्चात् संवितरित ऋण पर लागू नहीं होगी.

(6) **ऋण माफी :—** लघु एवं सीमांत कृषकों के मामले में संपूर्ण "पात्र राशि" की माफी की जाएगी.

(7) **कार्यान्वयन :—** इस योजना के अंतर्गत शामिल किये गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा ऋण माफी के लिये लघु एवं सीमांत कृषकों की सूची तैयार की जाएगी. इस सूची में प्रत्येक मामले में भूमि की जोत, ऋण वितरण की तिथि, पात्र राशि और प्रस्तावित ऋण माफी से संबंधित विवरण शामिल किया जाएगा. सूचियों बैंक/समिति के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी.

i. लघु एवं सीमांत कृषक के रूप में वर्गीकृत किसान माफ की जा रही पात्र राशि पर नये कृषि ऋण के लिये पात्र होगा.

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों हेतु संस्थागत वित्त एवं सहकारी संस्थाओं के लिये पंजीयक नोडल एजेन्सी होगा.

iii. ऋण दाता संस्थाएं पात्र राशि पर दिनांक 15-08-12 के पश्चात् कोई ब्याज प्रभारित नहीं करेगी.

iv. इस योजना में किसी भी बात के होते हुए भी इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन से प्रतिपूर्ति के लिये किसी ऋण दाता संस्था द्वारा दावा की जा सकने वाली ब्याज की राशि किसी भी मामले में ऋण की मूल राशि के 50% से अधिक नहीं होगी.

v. सहकारी समितियों से संबंधित कृषकों की ऋण माफी के लिये आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

(8) **ऋण माफी का प्रमाण पत्र :—** लघु एवं सीमांत कृषकों को "पात्र राशि" का माफी के बाद ऋणदाता संस्था इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगी की राज्य शासन की योजना अनुसार ऋण माफ कर दिया गया है. इसमें माफ की गई पात्र राशि का स्पष्ट उल्लेख करेगी.

जिन कृषकों का ऋण माफ किया जावेगा उन्हें संबंधित बैंक, पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित कृषक से पावती ली जावेगी.

(9) **ऋण देने वाली संस्था के दायित्व :—**

i. ऋण देने वाली प्रत्येक संस्था इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता के लिये जिम्मेदार होगी. ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर ऋण देने वाली संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिए.

ii. प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था प्रत्येक बैंक हेतु एक अथवा एक से अधिक परिवेदना निवारण अधिकारी/अधिकारियों की नियुक्ति करेगी. संबंधित परिवेदना निवारण अधिकारी का नाम एवं पता ऋण देने वाली संस्था के प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित किया जाएगा. परिवदेना निवारण अधिकारी को असंतुष्ट किसान से अभ्यावेदन प्राप्त करने और उस पर समुचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा. परिवेदना निवारण अधिकारी के आदेश अंतिम होंगे.

iii. यदि कोई कृषक इस बात से असंतुष्ट है कि उसका नाम ऋण माफी की सूची में नहीं है अथवा ऋण माफी की राशि की गणना गलत की गई है तो वह उस शाखा में अभ्यावेदन दे सकता है, जिससे उसने ऋण लिया है. अथवा संबंधित ऋण देने वाली संस्था के परिवेदना निवारण अधिकारी को वह सीधे अभ्यावेदन दे सकता है, और ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन का निपटान अभ्यावेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर करना होगा.

(10) **लेखा परीक्षा :—** प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है उसकी लेखा बहियां राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्याविधि के अनुरूप लेखा परीक्षा के अधीन होगी की लेखा परीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी. राज्य शासन किसी ऋण दाता संस्था के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं को विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश दे सकती है.

(11) **प्रचार-प्रसार :—** इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी.

(12) **व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति :—** इस योजना के किसी पैराग्राफ या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य शासन द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा. इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

यदि योजना के प्रावधानों या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगी.

(13) **उपयोगिता प्रमाण पत्र :—** ऋण माफी की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्रमांक-एफ 7-2/2012/32.—चूंकि राज्य सरकार ने संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ के लिए तैयार की गई विकास योजना को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (2) के अंतर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है.

और चूंकि राज्य शासन ने उस पर विचार किया है तथा राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न दर्शाए उपांतरणों के साथ प्रारूप विकास योजना को अनुमोदन प्रदान करता है.

अतएव अधिनियम की धारा 19(2) के प्रावधान के अंतर्गत नीचे दिये गये उपांतरणों पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की समयावधि में उक्त उपांतरणों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं. उपांतरणों सहित मानचित्र सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ में निरीक्षण हेतु रखे गये हैं.

रायगढ़ विकास योजना (प्रारूप) में प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

क्र.	ग्राम/उपांतरण/विकास योजना पुस्तक का विवरण	विकास योजना (प्रारूप में अंकित उपयोग/विषय)	प्रस्तावित भूमि उपयोग/उपांतरण का प्रस्ताव	शासन द्वारा मान्य उपांतरण का विवरण	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुस्तक पृ.क्र. 70 के कंडिका क्र. 4.13.5 में	पृ.क्र. 70 के बिन्दु क्रमांक-4.13.5 में शैक्षणिक उपयोग	16 हेक्टेयर	16 हेक्टेयर	त्रुटि सुधार रायगढ़ विकास योजना में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	शैक्षणिक उपयोग हेतु 7.0 हेक्टेयर दर्शित है.	हेतु 7.0 हेक्टेयर आरक्षित की गयी है, का उल्लेख है.			शैक्षणिक प्रयोजन हेतु 16.0 हेक्टेयर आरक्षित रखी गयी है.
2.	पुस्तक पृ. क्र. 15 में दर्शित सारणी 2-सा-2 में असंगत भूमि के विस्थापन के पश्चात् रिक्त भूमि का उपयोग दर्शाया जाना है.	असंगत भूमि उपयोग जिन्हें विस्थापित करने एवं पुनर्नियोजन किए जाने का प्रस्ताव उल्लेखित नहीं है.	सारणी 2-सा-2 में संशोधन कर पुनर्नियोजन प्रस्ताव दिए गए.	कॉलम 4 के अनुसार	रिक्त होने की दशा में असंगत भूमि का उपयोग दर्शाया गया. (परिशिष्ट-01)
3.	पृ.क्र. 110 में दर्शित सारणी क्र. 7-सा-1 में एफ. ए. आर. दर्शाया जाना है.	आवासीय भू-खण्डों के विकास मापदण्ड (पृ.क्र.-110 में एफ. ए. आर. उल्लेखित नहीं है.)	सारणी 7-सा-1 में एफ.ए.आर. का कॉलम जोड़ा गया.	कॉलम 4 के अनुसार	आवासीय भूखण्डीय के विकास हेतु एफ.ए.आर. का उल्लेख किया गया है. (परिशिष्ट-02)
4.	पृ. क्र. 142-144 पर दर्शित सारणी क्रमांक-7-सा-23 में कृषि उपयोग में स्वीकार्य उपयोग के अंतर्गत निम्न घनत्व आवासीय उपनगर प्रस्ताव शामिल किया जाना है.	प्रारूप विकास योजना रायगढ़ के पृ.क्र. 142-144 पर दर्शित सारणी क्रमांक-7-सा-23 में कृषि उपयोग में स्वीकार्य उपयोग के अंतर्गत निम्न घनत्व आवासीय उपनगर उपयोग सम्मिलित नहीं है.	सारणी क्रमांक 7-सा-23 में प्रस्ताव सम्मिलित किया गया.	कॉलम 4 के अनुसार	कृषि उपयोग में स्वीकार्य उपयोग के अंतर्गत निम्न घनत्व आवासीय उपनगर का उपयोग दर्शाया गया है. (परिशिष्ट-03)
5.	बाघ तालाब को तालाबों की सूची में नहीं दर्शाया गया है. परन्तु मानचित्र में दर्शाया गया है.	आवेदक की भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार तालाब दर्ज है, इसी आधार पर प्रारूप विकास योजना में भी तालाब दर्शाया गया है.	तालाब को तालाबों की सूची में दर्शाया जाना है.	माननीय न्यायालय का प्रकरण में आदेश होगा तदानुसार कार्यवाही की जायेगी.	उक्त प्रस्तावित तालाब बोर्ड एवं मत्स्य आखेट आदि गतिविधियों के लिये प्रस्तावित है. परन्तु न्यायालय के स्थगन के कारण प्रस्तावित उपयोग स्थगित रखा जाता है. आगे माननीय न्यायालय का प्रकरण में आदेश होगा तदानुसार कार्यवाही की जायेगी.
6.	सारंगढ़ बस स्टैण्ड से नगर निगम कार्यालय तक रेल्वे ओवर ब्रिज (ROB) दर्शाया जाना है.	प्रारूप विकास योजना मानचित्र में रेल्वे ओवर ब्रिज दर्शाया नहीं गया है.	विकास योजना या मानचित्र में रेल्वे ओवर ब्रिज दर्शाया गया है.	कॉलम 4 के अनुसार	त्रुटि सुधार विकास योजना मानचित्र मे रेल्वे ओवर ब्रिज दर्शाया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	JSPL का हवाई पट्टी दर्शाया जाना है.	प्रारूप विकास योजना मानचित्र नहीं दर्शाया गया है.	प्रारूप विकास योजना मानचित्र में JSPL का हवाई पट्टी दर्शाया गया है.	कॉलम 4 के अनुसार	JSPL की हवाई पट्टी को मानचित्र में दर्शाया गया है.
8.	ग्राम लामीदरहा के छोटे-बड़े झाड़ के जंगल को आमोद-प्रमोद हेतु आरक्षित किये जाने हेतु समिति द्वारा मान्य किया गया.	उक्त क्षेत्र विकास योजना में आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है.	राजस्व रिकार्ड में उक्त क्षेत्र छोटे-बड़े झाड़ को जंगल के रूप में दर्ज है. अतः ऐसी भूमि को आवासीय उपयोग में न रखते हुए आमोद-प्रमोद उपयोग में रखा जाना प्रस्तावित है.	कॉलम 4 के अनुसार	छोटे-बड़े झाड़ के जंगल को आमोद-प्रमोद हेतु आरक्षित किये जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

परिशिष्ट-01

वर्तमान असंगत भूमि उपयोग

(2-सा-2)

क्र. (1)	प्रकार (2)	वर्तमान स्थल/स्थिति (3)	प्रस्तावित स्थल उपयोग (4)	रिक्त भूमि होने पर (5)
1.	गोगा राइस मिल	सारंगढ़ बस स्टैण्ड के पास	निवेश ईकाई क्रमांक-02	आवासीय
2.	मोहन जूट मिल	ग्राम बांजिनपाली	निवेश ईकाई क्रमांक-02	वाणिज्यिक सामान्य
3.	चीरघर	जिला चिकित्सालय	निवेश ईकाई क्रमांक-02	स्वास्थ्य (सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
4.	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	रेल्वे स्टेशन मार्ग	निवेश ईकाई क्रमांक-02	(सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
5.	जनसंपर्क कार्यालय	रेल्वे स्टेशन मार्ग	निवेश ईकाई क्रमांक-02.	(सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
6.	विक्रय कर कार्यालय	रेल्वे स्टेशन मार्ग	निवेश ईकाई क्रमांक-02	(सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
7.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	रेल्वे स्टेशन मार्ग	निवेश ईकाई क्रमांक-02	(सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
8.	वाणिज्यिक कर कार्यालय	हण्डी चौंक के पास	निवेश ईकाई क्रमांक-02	(सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
9.	जिला जेल	रेल्वे क्रासिंग (सारंगढ़ मार्ग)	निवेश ईकाई क्रमांक-02	(सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक)
10.	तेल मिल, मशाला उद्योग ट्रांसपोर्ट.	गौरीशंकर मंदिर के बगल में.	निवेश ईकाई क्रमांक-01	आवासीय
11.	आरा मिल	जूट मिल मार्ग पर	निवेश ईकाई क्रमांक-02	वाणिज्यिक
12.	आरा मिल	माल धक्का मार्ग पर	निवेश ईकाई क्रमांक-02	आवासीय
13.	मटन, मछली, मुर्गी मार्केट	चक्रधर नगर चौक, हमीरपुर	निवेश ईकाई क्रमांक-01	वाणिज्यिक सामान्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	मटन, मछली, मुर्गी मार्केट	जूट मिल दुर्गा मंदिर के सामने	निवेश ईकाई क्रमांक-01	वाणिज्यिक सामान्य
15.	मटन, मछली, मुर्गी मार्केट	केवडावाडी बस स्टैण्ड	निवेश ईकाई क्रमांक	वाणिज्यिक सामान्य
16.	मटन, मछली, मुर्गी मार्केट	जगदंबा आश्रम के बगल में	निवेश ईकाई क्रमांक-01	वाणिज्यिक सामान्य
17.	सदर राईस मिल (स्टोरेज कार्य)	जूट मिल के बगल में	निवेश ईकाई क्रमांक-02	वाणिज्यिक सामान्य
18.	लकड़ी टाल	मिट्ठू मुडा हीरानगर	निवेश ईकाई क्रमांक-01	आवासीय
19.	चमड़ा गोदाम	ग्राम तेंदूडीपा	निवेश ईकाई क्रमांक-01	आवासीय
20.	दुग्ध डेयरी	राजीव नगर में	निवेश ईकाई क्रमांक-01	आवासीय

परिशिष्ट-02

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

7-सा-1

क्र.	भूखण्ड का आकार	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	विकास का प्रकार	अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र%	न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में) अग्र	पृष्ठ	आजू	बाजू	फर्शी क्षेत्रानुपात (FAR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4.0-8.0	32	6	पंक्ति	70	2.0	1.0	1.0	0.0	1.5
2.	4.0-12.0	48	6	पंक्ति	70	2.0	1.5	0.0	0.0	1.5
3.	5.0-15.0	75	6	पंक्ति	70	3.0	1.5	0.0	0.0	1.5
4.	7.0-15.0	105	6-9	पंक्ति	65	3.0	1.5	0.0	0.0	1.5
5.	9.0-15.0	135	9-12	अर्द्धपृथक्कृत	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.5
6.	11.10-18.0	200	9-12	अर्द्धपृथक्कृत	55	3.0	2.0	2.02.5	0.0	1.25
7.	12.0-18.0	216	12-15	पृथक्कृत	48	3.0	2.0	3.0	1.0	1.25
8.	15.0-18.0	270	12-15	पृथक्कृत	45	3.0	2.0	3.0	1.5	1.25
9.	12.0-24.0	288	12-18	पृथक्कृत	45	4.5	2.0	3.0	1.5	1.25
10.	15.0-27.0	360	15-18	पृथक्कृत	40	4.5	2.5	3.5	2.5	1.25
11.	15.0-27.0	405	15-18	पृथक्कृत	38	5.0	3.0	3.5	2.5	1.25
12.	18.0-30.0	540	18-24	पृथक्कृत	38	6.0	3.0	4.5	3.0	1.25
13.	20.0-30.0	600	18-24	पृथक्कृत	35	8.0	3.0	4.5	3.0	1.25
14.	25.0-30.0	750	18-24	पृथक्कृत	35	10	4.0	4.5	4.0	1.25

परिशिष्ट-03

उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

7-सा-23

क्र. (1)	भूमि उपयोग (2)	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग (3)	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग (4)
1.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कृषि परिभाषा में आते हैं. कृषि संबंधी अनुसंधान केन्द्र, प्रदर्शन एवं प्रयोगात्मक कार्य, कृषि फार्म. कृषि उद्यानिकी एवं वनरोपण, चारागाह एवं वृक्षारोपण, मुर्गीपालन एवं डेयरी, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं.	आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र, मौसम विज्ञान कार्यालय एवं वेधशाला, धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प एवं गैस फिलिंग केन्द्र, कब्रिस्तान, श्मशान, मल शोधन केन्द्र, खन्ती स्थान, ईंट भठ्ठे, कुम्हारी कार्य, पत्थर तोड़ने का कार्य, दुग्ध एवं कुक्कुट पालन, कृषि उपज से संबंधित माल गोदाम एवं गोदाम, एल.पी.जी. गोदाम, मोटल, ट्रक पार्किंग, दुग्ध शीतलन केन्द्र, सेवाएं, पेट्रोल, डीजल व विस्फोटक पदार्थों का संग्रहण केन्द्र. ग्रामीण आबादी से 500 मीटर तक सार्वजनिक सेवा सुविधाएं, साप्ताहिक बाजार, खाद एवं बीज संग्रहण केन्द्र, कृषि यांत्रिकी एवं सुधार प्रतिष्ठान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, फार्म हाऊस, ईंट निर्माण, मल निस्तारण, विद्युत ऊर्जा प्लांट, कंकड़, पत्थर, रेत अथवा पत्थर की खदानें, मंदिर, चर्च, मस्जिद एवं अन्य धार्मिक भवन एवं दुग्ध शोधन प्लांट फ्लाईऐश से संबंधित उत्पाद, हेलीपेड विद्युत/दूरदर्शन/रेडियो केन्द्र खुले डिपो, बायोडीजल उत्पादन, धर्मकांटा, पॉली हाऊस, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, मत्स्य, सुअर पालन निम्न घनत्व आवासीय उपनगर.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 11-1/2008/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य कर्मचारी सेवा शर्तें (प्रकीर्ण एवं निनियमन) अधिनियम 1955 के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को राज्य में क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार राज्य मानीटरिंग समिति का गठन करता है :—

1.	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/संचालक, जन संपर्क विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य
3	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य सचिव

समाचार पत्र के नियोजकों के प्रतिनिधि

1.	श्री आर. अजीत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नव भारत समूह रायपुर	सदस्य
2.	श्री गिरीश वोरा, संचालक, दैनिक अमृत संदेश, रायपुर	सदस्य
3.	श्री गोपाल असावा, प्रधान संपादक, दैनिक अंबिकावाणी, अंबिकापुर	सदस्य

श्रमजीवी पत्रकार के प्रतिनिधि

1.	श्री अरविंद अवस्थी, ब्यूरो चीफ, न्यूज क्रियेशन, रायपुर	सदस्य
2.	श्री मनोज बघेल, ब्यूरो चीफ, छत्तीसगढ़ ई.टी.व्ही., रायपुर	सदस्य
3.	श्री संदीप झा, ब्यूरो चीफ, हरिभूमि, नारायणपुर	सदस्य

गैर श्रमजीवी पत्रकार के प्रतिनिधि

1.	श्री शिव कुमार वर्मा, अध्यक्ष, समाचार पत्र कर्मचारी संघ, रायपुर	सदस्य
2.	श्री संजय चौबे, सदस्य, समाचार पत्र कर्मचारी संघ, बिलासपुर	सदस्य
3.	श्री मनीष गुप्ता, सदस्य, समाचार पत्र कर्मचारी संघ, जगदलपुर	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 1-17/2008/स्था/चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में पांचवा अधिसमय वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन 8900 स्वीकृत करता है तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-08-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के स्वीकृत 270 पदों की श्रेणीवार प्रतिशत निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है.

स. क्र.	संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	संवर्ग में स्वीकृत 270 पदों की श्रेणीवार पुनरीक्षित संख्या
1.	अधिसमय वेतनमान 37400-67000+ग्रेड पे 8900	05 (2 प्रतिशत)
2.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400-67000+ग्रेड पे 8700	14 (5 प्रतिशत)
3.	प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600-39100+ग्रेड पे 7600	40 (15 प्रतिशत)
4.	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+ग्रेड पे 6600	68 (25 प्रतिशत)
5.	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600-39100+ग्रेड पे 5400	143 (53 प्रतिशत)

2. भरती नियम में संशोधन पृथक से किया जावेगा.

3. उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 419/एफ-06-1001875/ब-1/2012, दिनांक 17-10-2012 से सहमति प्राप्त की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्रमांक 01 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	जर्वे प.ह.नं. 38	0.753	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8879/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	कोलियारी प. ह. नं. 22	1.021	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के बांधपार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8880/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	हटोईटोला प. ह. नं. 22	5.781	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8881/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	खोराटोला प. ह. नं. 23	4.001	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कोलियारी जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8882/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	गहिराभेड़ी प. ह. नं. 17	0.805	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8883/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बैरागीभेड़ी प. ह. नं. 16	3.450	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8884/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पांगरीकला प. ह. नं. 34	0.482	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	सांकरदाहरा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8885/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	शिकारीमहका प. ह. नं. 41	0.425	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिकारीमहका जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक 197/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 6/अ 82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-उमरिया, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 11.813 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308	0.19
309	0.07
310	0.06
311	0.08
312	0.03
313	0.35
314	0.86
339	0.27
340	0.01
341	0.14
342	0.12
343	0.03
345/1	0.12
345/2	0.186
350/1	0.13
350/2	0.03
350/3	0.03
350/4	0.03
350/5	0.04
350/6	0.04
350/7	0.04
351/1	0.06
351/2	0.01
351/3	0.01
351/4	0.06
351/5	0.02
353/1	0.04
353/2	0.04
353/3	0.03
353/4	0.06
353/5	0.03
353/6	0.03
353/7	0.04
353/8	0.04
353/9	0.04
355/1	0.03
355/2	0.04
355/3	0.01
355/4	0.04
355/5	0.01
355/6	0.04
355/7	0.01
356/1	0.07
356/2	0.13
357/1	0.03
357/2	0.06
358/1	0.06
358/2	0.03
359/1	0.04
359/2	0.02
359/3	0.04
359/4	0.03
359/5	0.04
359/6	0.03
360/1	0.01
360/2	0.04
360/3	0.04
360/4	0.04
360/5	0.04
360/6	0.06
360/7	0.03
361/1	0.06
361/2	0.05
361/3	0.07
361/4	0.19
361/5	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
362/1	0.05	370/1	0.10
362/2	0.07	370/2	0.01
362/3	0.10	370/3	0.04
362/4	0.06	370/4	0.04
362/5	0.06	370/5	0.01
363/1	0.01	370/6	0.01
363/2	0.05	370/7	0.01
363/3	0.06	370/8	0.04
363/4	0.05	370/9	0.01
363/5	0.05	371/1	0.04
363/6	0.12	371/2	0.02
363/7	0.05	371/3	0.02
364/1	0.10	372/1	0.03
364/2	0.15	372/2	0.03
364/3	0.18	373/1	0.03
365/1	0.28	373/2	0.02
365/2	0.29	374/1	0.02
366/1	0.42	374/2	0.02
366/2	0.27	374/3	0.01
366/3	0.32	374/4	0.01
366/4	0.01	374/5	0.02
367/1	0.02	375/1	0.06
367/2	0.04	375/2	0.02
367/3	0.03	375/3	0.02
367/4	0.02	375/4	0.01
367/5	0.04	375/5	0.03
367/6	0.02	375/6	0.04
367/7	0.04	375/7	0.04
367/8	0.04	376/1	0.09
367/9	0.01	376/2	0.03
367/10	0.04	376/3	0.04
367/11	0.02	376/4	0.04
367/12	0.01	376/5	0.04
368/1	0.05	376/6	0.06
368/2	0.01	376/7	0.04
368/3	0.04	377/1	0.08
368/4	0.04	377/2	0.04
368/5	0.02	378/1	0.04
368/6	0.04	378/2	0.01
368/7	0.04	378/3	0.04
368/8	0.04	378/4	0.03
369/1	0.04	379/1	0.02
369/2	0.03	379/2	0.03
369/3	0.04	379/3	0.02
369/4	0.03	379/4	0.04
369/5	0.03	381/1	0.02

(1)	(2)
381/2	0.04
381/3	0.04
382/1	0.06
382/2	0.04
382/3	0.04
382/4	0.04
382/5	0.04
382/6	0.04
382/7	0.04
382/8	0.04
383/1	0.02
383/2	0.04
383/3	0.04
383/4	0.02
383/5	0.04
383/6	0.04
383/7	0.01
384/1	0.13
384/2	0.04
384/3	0.04
384/4	0.04
384/5	0.04
384/6	0.04
384/7	0.04
384/8	0.04
384/9	0.04
384/10	0.08
384/11	0.04
484/12	0.04
384/13	0.04
384/14	0.08
385	0.65
386	0.16
387	0.12
योग 192	11.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला कोण्डागांव, छ.ग.

कोण्डागांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक 2877/राजस्व/2012.—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति का गठन आगामी आदेशपर्यन्त तक के लिए किया जाता है :—

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह अध्यक्ष
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

हेमन्त कुमार पहारे,
कलेक्टर.